भारत सरकार
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 771
दिनांक 23 जुलाई, 2026

ईंधन के विभिन्न प्रकारों की उपलब्धता

†771. **श्री जय प्रकाशः**

क्या ***पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाहन चालकों (मोटर चालकों) द्वारा कथित तौर पर माइलेज कम होने, इंजन को संभावित नुकसान पहुंचने और ईंधन के चयन का विकल्प न होने को लेकर विरोध और असंतोष व्यक्त किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सुरेश गोपी)

(क) और (ख): इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को एक चरणबद्ध, वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित और विचार-विमर्श वाली प्रक्रिया के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है जिसमे नीति आयोग, ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियाँ, तेल मार्केटिंग कंपनियाँ (ओएमसी), ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई), सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम), भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) और दूसरे तकनीकी संस्थान शामिल हैं।

इथेनॉल कोई नया ईंधन नहीं है। इसका उपयोग दुनिया भर में एक सदी से ज़्यादा समय से हो रहा है जिसमे ब्राज़ील जैसे दशकों से उच्चतर इथेनॉल मिश्रण का उपयोग कर रहे देश शामिल है। भारत में, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम की शुरुआत 2001 में एक पायलट परियोजना के साथ हुई थी, 2006 में ई5 पेश किया गया था और हालाँकि 2013-14 में मिश्रण लगभग 1.53% था, लेकिन आवश्यक उत्पादन क्षमता, अवसंरचना और विनियामक अवसंरचना बनाने के बाद इसे धीरे-धीरे और सही तरीके से बढ़ाया गया है।

सरकार को वाहन निर्माताओं, ऑटोमोबाइल संस्थाओं या उपभोक्ता संगठनों से ई20 ईंधन के कारण इंजन फेल होने, इंधन पंप की समस्याओं, जंग लगने, पानी के प्रदूषण या कार्य-निष्पादन से जुड़ी अन्य समस्याओं के संबंध में कोई व्यापक या ठोस शिकायत नहीं मिली है। हालाँकि, सरकार ने मीडिया और सोशल मीडिया पर उठाई गई कुछ चिंताओं पर ध्यान दिया है और उनकी वैज्ञानिक रूप से जाँच की गई है।

एआरएआई, एसआईएएम, आईओसीएल, आईआईपी और वाहन निर्माताओं द्वारा किए गए व्यापक प्रयोगशाला अध्ययनों और क्षेत्र परीक्षणों से यह पुष्टि हुई है कि ई20 निर्धारित मानकों के तहत उपयोग के लिए सुरक्षित है जिसमे इंजन की टिकाऊपन, चलाने में आसानी, स्टार्ट होने की क्षमता, जंग-रोधी क्षमता, सामग्री की अनुकूलता, उत्सर्जन और ईंधन की दक्षता जैसे पहलुओं की जाँच की गई।

इन अध्ययनों से यह भी प्रमाणित हुआ है कि पुराने वाहनों के कार्य-निष्पादन में कोई विशिष्ट बदलाव नहीं आया और न ही ई20 के कारण उनमें कोई असामान्य टूट-फूट हुई। इन व्यापक प्रयोगशाला अध्ययनों, क्षेत्र सत्यापनों और वास्तविक दुनिया में उपयोग के अनुभव से यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि ई20 ईंधन के कारण वाहनों के कार्य-निष्पादन पर कोई व्यापक बुरा प्रभाव पड़ा है।

सरकार का आकलन न केवल प्रयोगशाला में हुए अनुसंधान पर बल्कि पूरे देश में इसे लागू करने के पश्चात वृहद अनुभव पर भी आधारित है। भारत में प्रत्येक दिन लगभग 8 करोड़ वाहन (इनमें से लगभग 80% पेट्रोल वाहन होते हैं) खुदरा बिक्री केंद्र पर आते हैं ।

ई15+ मिश्रित पेट्रोल का उपयोग साढ़े तीन वर्षों से अधिक से और ई19-ई20 इंधन का उपयोग ढाई वर्षों से अधिक से हो रहा है। 20 करोड़ से अधिक दुपहिया और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें इन मिश्रणों के साथ चल रही हैं जिनमे इथेनॉल मिश्रण के कारण से इंजन खराब होने या गाड़ी के खराब होने का कोई भी सत्यापित प्रमाण नहीं मिला है। विनिर्माता के सर्विस संबंधी आँकड़े से पुष्टि होती है कि ई20 इंधन के कारण गाड़ियों में कोई असामान्य जंग, घिसाव या गाड़ी की उम्र कम होने जैसी समस्या नहीं होती है। विनिर्माता ई20 इंधन का उपयोग करने वाली गाड़ियों के लिए गारंटी की शर्तें पूरी करते रहते हैं, जिससे इसकी सुरक्षा और भरोसेमंद होने पर और भरोसा बढ़ता है।

एक अग्रणी ओईएम ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ वाहन शामिल हैं जो मूल रूप से ई20-संगत के रूप में प्रमाणित नहीं थे, और कोई भी ई20-लिंक्ड संक्षारण, प्रतिकूल घिसाव या कॉमपोनेन्ट उपयोग काल में कमी की सूचना नहीं प्राप्त हुई थी। एक अग्रणी 2-पहिया कंपनी ने इसी तरह के क्षेत्र अनुभव की सूचना दी है। हाल ही में एक ओईएम ने बताया कि विस्तारित अवधि में भी ट्रैक करने पर 1.4 करोड़ ई20-प्रचालित वाहनों के डेटा ने इथेनॉल-प्रेरित संक्षारण का कोई प्रमाण नहीं प्रस्तुत किया। एआरएआई ने फिर से पुष्टि की कि वाहन उपभोक्ताओं तक पहुंचने से पहले कड़े अंतरराष्ट्रीय-मानक सत्यापन से होकर गुजरते हैं।

माइलेज के मामले में, सरकारी एजेंसियों और ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं के अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ईंधन दक्षता कई कारकों पर निर्भर करती है जिसमे ड्राइविंग की स्थिति, ड्राइविंग की आदतें और गाड़ी का रखरखाव शामिल है। ई10 के लिए डिज़ाइन की गई कुछ गाड़ियों में इंधन संबंधी अर्थव्यवस्था में समान्य रुप से कमी लगभग 3-5% तक ही सीमित होती है, जबकि ई20 ज़्यादा ऑक्टेन रेटिंग, सर्वोतम एंटी-नॉक विशेषताएँ, स्वच्छ कंबशन और निर्विघ्न इंजन कार्य-निष्पादन देता है।

एसआईएएम और एआरएआई के अनुसार, ई20 कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए त्वरण और सवारी की गुणवत्ता को बेहतर बनाता है। इथेनॉल का उच्चतर ऑक्टेन नंबर आधुनिक हाई-कम्प्रेशन इंजन को सहयता करता है और इसकी उच्चतम वाष्पीकरण की ऊष्मा दहन दक्षता को बेहतर बनाती है।

ई20 पर बदलाव से देश को महत्वपूर्ण लाभ भी हुए हैं। इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम से विदेशी मुद्रा में ₹1.97 लाख करोड़ से ज़्यादा की बचत हुई है,लगभग 316 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के स्थान पर इथेनॉल का उपयोग हुआ है, कार्बन उत्सर्जन में लगभग 952 लाख मीट्रिक टन की कमी आई है और किसानों को ₹1.66 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि मिली है।

इसीलिए, सरकार का यह कहना कि "कोई बड़ी समस्या" सामने नहीं आई है वो किसी एकमात्र मामले पर आधारित नहीं है बल्कि 25 से अधिक वर्षों में चरणबद्ध तरीके से कार्यांवित करने, बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक जांच-पड़ताल, करोड़ों गाड़ियों के क्षेत्र अनुभव, विनिर्माता के सर्विस अभिलेख, स्टेकहोल्डर से विचार-विमर्श और लगातार गुणवत्ता की निगरानी से मिले प्रमाणों पर आधारित है।

सरकार सोशल मीडिया पर फैलने वाले दावों की जांच विनिर्माता और तकनीकी एजेंसियों से विचार-विमर्श करके करती है। ऐसे कई दावे बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए, गुमराह करने वाले या तकनीकी प्रमाणों के बिना पाए गए हैं और इथेनॉल मिश्रण के कारण इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का कोई सत्यापित प्रमाण नहीं मिला है।

इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की सरकारी नीति के तहत, तेल विपणन कंपनियों को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% तक इथेनॉल मिश्रित मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) आपूर्ति करने का निर्देश दिया गया है, जो संबंधित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के नियमों के अनुसार हो।

इसके अलावा, 1 अप्रैल 2026 से, न्यूनतनम 95 रिसर्च ऑक्टेन नंबर (आरओएन) वाले इथेनॉल-मिश्रित मोटर स्पिरिट को संबंधित वैधानिक प्रावधानों के तहत अधिसूचित किया गया है।

सरकार की नीति है कि जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और उत्सर्जन कम करने के लक्ष्यों के अनुसार, प्रगतिशील रूप में स्वच्छ, अधिक प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल ईंधन की ओर बढ़ा जाए।

ई20 के वैज्ञानिक मूल्यांकन और चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित करने के हर चरण में ऑटोमोबाइल विनिर्माता, अवयव आपूर्तिकर्ता, एसआईएएम, एआरएआई, परीक्षण एजेंसियां और तेल विपणन कंपनियां शामिल थीं। ई20 को तभी लागू किया गया जब ईंधन प्रणाली, इंजन का टिकाऊपन, वाहन चलाने में आसानी, मटीरियल की अनुकूलता और उत्सर्जन कार्य-निष्पादन का सफल सत्यापन हो गया। इन अध्ययनों से यह भी पता चला कि पुरानी गाड़ियों के कार्य-निष्पादन में कोई विशेष बदलाव नहीं आया और न ही ई20 के कारण उनमें कोई असामान्य टूट-फूट हुई। अगर ऑटोमोबाइल विनिर्माता परिणामों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं होते, तो वे न तो पुरानी गाड़ियों के लिए ई20 ईंधन को अनुमोदन देते और न ही वारंटी की शर्तों को मानते।

व्यापक परीक्षण के बाद ऑटोमोबाइल उद्योग द्वारा वैज्ञानिक रूप से सत्यापित और स्वीकार किए जाने के बाद, ई0/ई10 पेट्रोल पर वापस जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। सार्वजनिक नीति का उद्देश्य बेहतर ईंधन के साथ आगे बढ़ना है, न कि न्यूनतम मानकों पर वापस लौटना।

ऑटोमोबाइल विनिर्माताओं, एआरएआई, एसआईएएम, तेल विपणन कंपनियां और अन्य संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद, ई20 में बदलाव चरणबद्ध, विचार-विमर्श पर आधारित और वैज्ञानिक रूप से सत्यापित रहा है। लागू करने से पहले मटीरियल की अनुकूलता, इंजन की टिकाऊपन, ईंधन प्रणाली, गाड़ी चलाने में आसानी, उत्सर्जन और कार्य-निष्पादन का व्यापक मूल्यांकन किया गया था।

एक लाख से अधिक खुदरा बिक्री केंद्रों पर ई0, ई10 और ई20 पेट्रोल के लिए विभिन्न देशव्यापी आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने से लॉजिस्टिक्स की जटिलता, इन्वेंट्री और हैंडलिंग की लागत काफी बढ़ जाएगी। सार्वजनिक नीति को उपभोक्ताओं की सुविधा और ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण की स्थिरता और किसानों के कल्याण के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

एक बार जब स्वच्छ और वैज्ञानिक रूप से सत्यापित ईंधन अपना लिया जाता है, तो उद्देश्य बेहतर तकनीक के साथ आगे बढ़ना होता है, न कि निम्नतर मानकों पर वापस लौटना।
